न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 79/2022 **दायर दिनांकः 10/06/2022**

उनवान

1. लोकेशचन्द्र आयु 53 वर्ष पुत्र देवलाल जाति मेघवाल निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी कोटा राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0

व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
प्रतिवादीः— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 17/10/2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बगली पटवार क्षेत्र चरडाना तहसील अटरू की खाता संख्या 67 की ख0नं0 283 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 35/644 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 4 का रकबा 2.59 है0, ख0नं0 5 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 531/593 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 531/607 का रकबा 2.40 है0, ख0नं0 561 का रकबा 0.24 है0 कुल किता 7 रकबा 5.71 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम लालचन्द पुत्र देवलाल दर्ज है जो वादी का गलत नाम है जबकि वादी का सही नाम लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल है। वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय वादी के परिवार ने वादी का बोलता नाम लालचन्द दर्ज हो गया। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में

वादी का नाम लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न भिन्न नाम होने से वादी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। अस्तु वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लालचन्द पुत्र देवलाल के स्थान पर लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है मामला मात्र नाम व रिकार्ड दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सीपीसी0 को नोटिस नहीं दिया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 25.05. 2022 को वादी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नहीं करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालया द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तुत व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वादी का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में लालचन्द्र पुत्र देवलाल के स्थान पर लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा/रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ग्राम बगली प0म0 चरडाना के खाता संख्या 86 किता 1 रकबा 1.29 है0, खाता संख्या 67 किता 7 रकबा 5.71 है0 व खाता

संख्या 68 किता 3 रकबा 1.36 है0 भूमि लालचंद पुत्र देवलाल जाति मेघवाल के शामलाती खाता दर्ज रिकार्ड है। मृतक देवलाल पुत्र गणेशराम का नामान्तरण दर्ज करते समय परिवार के व्यक्तियों द्वारा लालचन्द्र नाम दर्ज करवाया गया। मुताबिक वाद ब्यान सहखातेदार फूलचन्द तथा वोटर आई0डी0, आधार कार्ड तथा सरपंच ग्राम पंचायत चरडाना की रिपोर्ट के आधार पर लालचन्द का सही नाम लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लालचन्द पुत्र देवलाल के स्थान पर लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल शुद्ध किया जाना न्यायोचित होगा।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल जाति मेघवाल निवासी बगली तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी लोकेशचन्द्र ने अपने शपथ पत्र में कथन किया कि ग्राम बगली की खाता संख्या 67 की ख0नं0 283 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 35/644 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 4 का रकबा 2.59 है0, ख0नं0 5 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 531/593 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 531/607 का रकबा 2.40 है0, ख0नं0 561 का रकबा 0. 24 है0 कुल किता 7 रकबा 5.71 है0 आराजी मेरे के शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें मेरा नाम लालचन्द पुत्र देवलाल है। मेरे पिता स्वर्गवास होने के बाद फौती इन्तकाल खुलवाते समय मेरे के घरवालों ने मेरा बोलता नाम लालचन्द लिखवा दिया गया। जिससे मेरा नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में लालचन्द दर्ज हो गया । आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल है। इसलिए मेरा नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। मेरे दस्तावेजों के आधार पर मेरा नाम लालचन्द पुत्र देवलाल के स्थान पर लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल दर्ज किया जावे।

4. pw 2 फूलचन्द पुत्र देवलाल व pw 3 भोजराज पुत्र देवलाल जाति मेघवाल निवासी बगली तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादीयों ने अपने शपथ पत्र में कथन किया कि ग्राम बगली की खाता संख्या 67 की ख0नं0 283 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 35/644 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 4 का रकबा 2.59 है0, ख0नं0 5 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 531/593 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 531/607 का रकबा 2.40 है0, ख0नं0 561 का रकबा 0. 24 है0 कुल किता 7 रकबा 5.71 है0 आराजी मेरे व मेरे भाई के शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें मेरे भाई का नाम लालचन्द पुत्र देवलाल दर्ज है जो गलत नाम है जबकि मेरे भाई का सही नाम लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल है। मेरे पिता का स्वर्गवास होने के बाद फौती इन्तकाल खुलवाते समय

मेरे के घरवालों ने मेरा बोलता नाम लालचन्द लिखवा दिया गया। जिससे मेरे भाई का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में लालचन्द दर्ज हो गया। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में मेरे भाई का नाम लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल है। इसलिए मेरे भाई का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। मेरे भाई का नाम दस्तावेजों के आधार पर लालचन्द पुत्र देवलाल के स्थान पर लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक वादी की बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम बगली की विवादित आराजी में वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फौती इंतकाल खुलवाते समय वादी के परिवार ने वादी का बोलता नाम लालचन्द लिखवा दिया गया जो गलत नाम है वादी का सही नाम लोकेशचन्द्र है। वादी के दस्तावेजों –आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के आधार पर नाम शुद्ध किया जावे।

6. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ग्राम बगली की जमाबन्दी संवत 2072–2075 के ग्राम बगली की खाता संख्या 67 की ख0नं0 283 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 35/644 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 4 का रकबा 2.59 है0, ख0नं0 5 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 531/593 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 531/607 का रकबा 2.40 है0, ख0नं0 561 का रकबा 0.24 है0 कुल किता 7 रकबा 5.71 है0 की जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर है कि वादी का नाम विवादित आराजी में लालचन्द पुत्र देवलाल दर्ज रिकार्ड है।

अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में लोकेश चन्द्र वर्मा पुत्र देवलाल, मतदाता पहचान पत्र में लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल अंकित है। ग्राम पंचायत चरडाना के प्रमाण पत्र दिनांक 09.06.2022 के अनुसार लालचन्द व लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का सही नाम लोकेशचन्द्र पुत्र देवलाल है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना न्यायोचित होगा।

7. अतः रिकार्ड एवं साक्ष्य तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बगली की खाता संख्या 67 की ख0नं0 283 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 35/644 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 4 का रकबा 2.59 है0, ख0नं0 5 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 531/593 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 531/607 का रकबा 2.40 है0, ख0नं0 561 का रकबा 0. 24 है0 कुल किता 7 रकबा 5.71 है0 में सहखातेदार **लालचन्द पुत्र देवलाल के स्थान पर लोकेशचन्द्र उर्फ लालचन्द पुत्र देवलाल** दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 79/2022 **दायर दिनांकः 10/06/2022**

उनवान

1. लोकेशचन्द्र आयु 53 वर्ष पुत्र देवलाल जाति मेघवाल निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी कोटा राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0</u>
<u>व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

प्रतिवादीः—पेरोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम बगली की विवादित आराजी खाता संख्या 67 की ख0नं0 283 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 35/644 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 4 का रकबा 2.59 है0, ख0नं0 5 का रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 531/593 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 531/607 का रकबा 2.40 है0, ख0नं0 561 का रकबा 0.24 है0 कुल किता 7 रकबा 5.71 है0 में सहखातेदार **लालचन्द पुत्र देवलाल के स्थान पर लोकेशचन्द्र उर्फ लालचन्द पुत्र देवलाल** दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.10.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)